कार्यालय प्रमुख अभियंता
म.प्र. लोक निर्माण विभाग, सतपुड़ा भवन, द्वितीय तल भोपाल
website : www.mppwd.gov.in email : pwdbhop@mp.nic.in
Phone - 0755 - 2551485, Fax - 2556527

क्रमांक / 401 / सा / विविध / 200 / 2011 / 11413 भोपाल दिनांक : 2/12/2011

प्रति,

समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश।

विषय :– निविदा प्रकरणों को समयसीमा में प्रस्तुत करने तथा निविदा के निराकरण में बिलम्ब होने की स्थिति में ठेकेदार से निविदा की वैधता बढ़वाने की कार्रवाई करने के संबंध में।

******

विषयान्तर्गत कुछ प्रकरणों में यह देखने में आया है कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा इस कार्यालय या शासन स्तर से निराकृत होने वाले निविदा प्रकरणों को इस कार्यालय में बिलम्ब से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे इन निविदाओं की वैधता समाप्त होने की संभावना बनी रहती है। कुछ प्रकरणों में यद्यपि निविदा प्रकरण तो समय पर प्रस्तुत किये जाते हैं, किन्तु उनमें कुछ अतिरिक्त जानकारी शासन स्तर से अथवा इस कार्यालय से मांगी जाती है जिसे तत्परता से प्रस्तुत न किये जाने के कारण निविदा प्रकरण का निराकरण वैधता अवधि के अन्तर्गत नहीं किये जाने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में कार्यपालन यंत्रियों द्वारा निविदाकारों से निविदा की वैधता अवधि बढ़ाने हेतु कार्रवाई की जाना चाहिये।

अतः निर्देशित किया जाता है, कि निविदा प्रकरणों को निविदा खोलने के तुरन्त पश्चात ही इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। संबंधित कार्यपालन यंत्रियों का यह दायित्व होगा कि निविदा प्रकरणों के निराकरण में बिलम्ब न होने पाये तथा यदि किसी कारण से बिलम्ब होता है तो वैधता तिथि समाप्त होने के पूर्व ही संबंधित ठेकेदारों से वैधता बढ़ाने की सहमति प्राप्त की जाये। यदि किसी प्रकरण में निविदा की वैधता समाप्त हो रही है तथा निविदाकारों द्वारा वैधता अवधि नहीं बढ़ाई जाती है तो निविदा प्रकरण के त्वरित निराकरण हेतु कार्यपालन यंत्री दूरभाष एवं अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से अवगत करायेंगे। कार्यपालन यंत्री द्वारा यथासमय समुचित कार्रवाई न किये जाने के कारण शासन को होने वाली हानि के लिए कार्यपालन यंत्री व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक / 401 / सा / विविध / / 2011 भोपाल दिनांक :

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2. समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग भोपाल (म.प्र.)